MPOnline Limited
Joint venture between Govt of Madhya Pradesh and TCS
मध्यप्रदेश सरकार का पोर्टल

सी.एल.सी चरण में महाविद्यालय स्तर पर
प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश

महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश लेने एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान करें हेतु महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक द्वारा सीएलसी चरण में पंजीयन एवं महाविद्यालय चयन करने के उपरांत सभी प्रकार की जानकारी अपने लॉगिन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक बिन्दुवार जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें एवं प्रवेश सुनिश्चित करें। सीएलसी चरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1. कॉलेज लेवेल काउन्सलिंग में किसी भी छात्र को किसी भी महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। छात्र को अपने लॉगिन से सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी।
2. महाविद्यालयों द्वारा प्रतिदिन सूची अपडेट की जाएगी। अत: आवेदक अपनी अद्यतन स्थिति प्रतिदिन देखना सुनिश्चित करें तदनुसार प्रवेश शुल्क का भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित करें । अतः छात्रों को प्रतिदिन अपने लॉगिन से महाविद्यालय आवंटन की अद्यतन स्थिति लॉगिन आई.डी. पर अनिवार्य रूप से चेक करनी होगी ।
3. छात्रों द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय का आवंटन लॉगिन पर दिखाई देगा। छात्र अपने महाविद्यालय आवंटन सहमति देने के पश्चात ऑनलाइन शुल्क भुगतान करेगा।
4. समय-सारणी अनुसार आवेदक ई-प्रवेश पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से महाविद्यालय द्वारा आवंटित सूची का अवलोकन करें एवं दर्शित महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम में से **किसी एक का चयन** कर निर्धारित **समय-सीमा** मे ऑनलाइन प्रवेश शुल्क Net Banking/ATM Debit/ Credit Card/ UPI Wallet अथवा अधिकृत किओस्क के माध्यम से जमा कर प्रवेश सुनिश्चित करेंगे ।
5. किसी भी एक महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क जमा करने पर **आवेदक का नाम अन्य महाविद्यालय की सूची से विलुप्त** हो जावेगा।